विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-02/16

मेसर्स सैययद फूड प्रोडक्ट — आवेदक
रहमत नगर
रतलाम म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
रतलाम म.प्र.

आदेश

(दिनांक 20.05.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0314815 मेसर्स सैययद फूड प्रोडक्ट विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. रतलाम में पारित आदेश दिनांक 21.11.2015 के विरूद्ध आवेदक की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–02/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को दिनांक 12.5.2016 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 12.5.2016 को सुनवाई के दौरान आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के संबंध में अवगत कराया गया कि–

अ आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत मीटर दिनांक 24.6.2015 तक सही खपत दर्ज करता रहा एवं आवेदक को माह जून, 2015 के लिए मीटर रीडिंग 965640 यूनिट तक का विद्युत देयक भेजा गया।

ब आवेदक को माह जुलाई, 2015 में औसत बिल मीटर रीडिंग 20524 यूनिट का दिया गया।

स आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके परिसर में स्थापित मीटर में 10 लाख यूनिट तक विद्युत खपत दर्ज करने का प्रावधान है तथा इसके पश्चात मीटर द्वारा पुनः 1 यूनिट से खपत दर्ज करना शुरू कर देता है।

04 आवेदक द्वारा बताया गया कि दिनांक 18.7.2015 को रीडिंग लेते समय मीटर में 1505 यूनिट रीडिंग दर्ज हुई अर्थात मीटर द्वारा 10 लाख यूनिट दर्ज करने के पश्चात पुनः 1 से शुरू हो गया जिसके कारण 1505 यूनिट तक रीडिंग दर्शायी गई। इस प्रकार दिनांक 24.6.2015 से 18.7.2015 तक

की अवधि में मीटर द्वारा 35865 यूनिट की खपत दर्शायी गई, जबकि आवेदक द्वारा पूर्व माहों में कभी भी इतनी खपत दर्ज नहीं हुई।

05 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके परिसर में उपरोक्त त्रुटिपूर्ण मीटर के स्थान पर दिनांक 18.7.2015 को नया मीटर लगाया गया जिसकी कि प्रारंभिक रीडिंग 3 थी तथा दिनांक 21.8.2015 को बिलिंग हेतु ली गई रीडिंग 2224 यूनिट थी। तदनुसार आवेदक को पूर्व में स्थापित मीटर में दर्ज की गई खपत 35865 एवं नये मीटर की खपत 2221 को जोड़कर कुल 38086 यूनिट में से जुलाई माह में बिल की गई आकलित खपत 20524 यूनिट को समायोजित कर शेष 17562 यूनिट का बिल रूपये 1,34,159/– जारी किया गया जो गलत है और निरस्त करने योग्य है।

06 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में स्थापित मीटर यद्यपि किसी त्रुटि के कारण दिनांक 18.6.2015 को दर्ज रीडिंग 965640 से रिसेट होकर पुनः 1 से प्रारंभ हो गया था जिसके कारण मीटर की एमआरआई में समय एवं तारीख मीटर द्वारा गलत दर्शायी गई। इस संबंध में उनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय से प्राप्त एमआरआई की प्रति प्रस्तुत की गई। (एनेक्सर–1)

07 आवेदक द्वारा सुनवाई के दौरान दिनांक 25.6.2015 से 47 दिन की मीटर की एमआरआई जो कि उनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक के कार्यालय से प्राप्त की थी, जिसकी पुष्टि तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा भी की गई, का एबस्ट्रेक्ट (Abstract) प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार मीटर द्वारा 17290 यूनिट खपत दर्ज करना पाया गया।

08 अनावेदक द्वारा बताया गया कि परिसर में लगे मीटर की सूक्ष्म जांच करने पर पता चला है कि मीटर का डायल 06 अंकों का है अर्थात मीटर में 999999 यूनिट खपत दर्ज होने के उपरांत मीटर में पुनः रीडिंग शून्य से प्रारंभ होती है। प्रस्तुत प्रकरण में भी उपभोक्ता परिसर में लगे मीटर में 18.6.2015 को रीडिंग 965640 थी जो कि अगले माह खपत बढ़ने पर डायल 999999 पर पहुंचने के बाद पुनः 01 से प्रारंभ हुई इसलिए मीटर की जांच जब प्रयोगशाला में की गई तो परीक्षण में मीटर तेज चलने संबंधी कोई लक्षण परिलक्षित नहीं हुए और ना ही एमआरआई में इस तरह की रिपोर्ट पायी गई। (एनेक्सर–2)

09 अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान अवगत कराया गया कि आवेदक के परिसर में लगा हुआ मीटर का परीक्षण उपभोक्ता की उपस्थिति में दिनांक 18.6.2015 को मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में कराया गया तथा परीक्षण रिपोर्ट में मीटर की कार्यप्रणाली सही पायी गई। (एनेक्सर–2)

10 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक का यह कथन कि मीटर की मेमोरी फैल होने से मीटर 0 से स्टार्ट होना संभव है, सही नहीं है क्योंकि मीटर की मैमोरी फैल होने से एमआरआई में सही समय व दिनांक रिकार्ड नहीं होने से मीटर द्वारा खपत दर्ज करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा उनके द्वारा मीटर की एमआरआई प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त उभय पक्षें द्वारा दिये गये तर्क एवं दस्तावेजों का अवलोकन एवं विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है :–

11 आवेदक के परिसर में लगे मीटर द्वारा दिनांक 18.6.2015 तक सही खपत दर्ज की जा रही थी तथा आवेदक को जून माह में 965640 यूनिट रीडिंग तक का बिल दिया गया। दिनांक 18.7.2015 को मीटर की रीडिंग लेते समय रीडिंग 1505 यूनिट पायी गई, जिसके अनुसार दिनांक 18.6.2015 से 18.7.2015 तक मीटर की रीडिंग 35865 यूनिट दर्ज होना पाई गई।

12 अनावेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर को दिनांक 10.8.2015 को बदला गया तथा बिलिंग हेतु मासिक रीडिंग दिनांक 21.8.2015 को लेने पर नये मीटर में खपत 2221 यूनिट दर्ज होनी पाई गई।

13 आवेदक द्वारा प्रस्तुत एमआरआई के अनुसार 47 दिन में 17290 यूनिट खपत पूर्व में स्थापित मीटर द्वारा दर्ज की गई तथा दिनांक 10.8.2015 को स्थापित किये गये नये मीटर में दिनांक 21.8.2015 तक 2221 यूनिट खपत दर्ज की गई । इस प्रकार दिनांक 24.6.2015 से 21.8.2015 तक अर्थात 59 दिनों में नये एवं पुराने मीटर द्वारा कुल खपत 19511 (17290 +2221) यूनिट दर्ज होना पाया गया।

14 अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान इस बात की पुष्टि की गई कि मीटर की मैमोरी फेल होने पर मीटर द्वारा समय तथा तिथि गलत दिखाई जा सकती है परन्तु मीटर द्वारा खपत दर्ज करने में कोई प्रभाव नहीं आता है। अतः अनावेदक के इस कथन के आधार पर आवेदक द्वारा जो एमआरआई प्रस्तुत की गई, जिसे कि उनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक के कार्यालय से प्राप्त की गई थी एवं जिसकी पुष्टि अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान की गई है, में दर्शायी गई खपत वास्तविक है।

15 अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दिनांक 25.6.2015 से 21.8.2015 तक की अवधि में कुल खपत 19511 (17290 +2221) यूनिट हुई है। अर्थात प्रतिमाह 9756 यूनिट औसत विद्युत खपत की गई है।

16 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व यह देखना आवश्यक है कि त्रुटिपूर्ण मीटरों के बिलों के संबंध में विद्युत प्रदाय संहिता में क्या प्रावधान दर्शाये गये हैं। इसके लिए विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 (ब) का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है–

8.35 (ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब पक्र रण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेगें जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार प्रकरण की समीक्षा करने पर पाया जाता है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत मीटर रीडिंग डायरी (एनेक्सर–3) के अनुसार भी मीटर द्वारा मार्च 2015 से अनियमित खपत दर्ज की जा रही थी। अतः आवेदक को अप्रैल, मई व जून 2015 माहों में की गई खपत का औसत आकलित खपत बिल दिया जाना उचित नहीं है।

17 उपरोक्त कंडिका के अनुसार यदि त्रुटिपूर्ण मीटर के पिछले माहों के औसत खपत के आधार पर निर्णय नहीं लिये जाने की स्थिति में परिसर में स्थापित नये मीटर के 3 मापयंत्र वाचन चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार पर विद्युत की मात्रा का आकलन किया जा सकता है जिसके अनुसार (एनेक्सन–4) में सितंबर, अक्टूबर व नवंबर 2015 में दर्ज की गई खपत क्रमशः 11815, 8076 व 14316 यूनिट के अनुसार औसत खपत प्रतिमाह 11402 यूनिट दर्ज आती है। दिनांक 25.6.2015 से 10.8.2015 की अवधि की त्रुटिपूर्ण मीटर की एमआरआई एवं दिनांक 10.8.2015 से 21.8.2015 तक नये मीटर द्वारा दर्ज की गई खपत के अनुसार औसत प्रतिमाह खपत 9750 यूनिट आती है जो कि लगभग नये मीटर स्थापित करने के पश्चात औसत खपत प्रतिमाह 11402 यूनिट प्रतिमाह के आस–पास है। अतः इसके अनुसार कंडिका 8.35(ब) में दिये गये प्रावधान अनुसार आवेदक को जुलाई एवं अगस्त माहों के लिए औसत खपत 11402 यूनिट का विद्युत देयक दिया जाना उचित एवं नियमानुसार होगा।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

(i) आवेदक को माह जुलाई एवं अगस्त 2015 में औसत खपत 11402 यूनिट के अनुसार संशोधित विद्युत देयक जारी किया जाए।

(ii) आवेदक द्वारा जुलाई माह में आकलित खपत 20540 यूनिट के विद्युत देयक की जमा राशि का समायोजन संशोधित बिल की राशि में किया जाए।

18 फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

19 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल